

बिहार में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: बदलते आयाम

¹ सौरभ संदेश, ² अर्चना, ³ डॉ मृणालिनी,

¹शोध छात्र, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय/ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर /बिहार, भारत

²शोध छात्र, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय/ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर /बिहार, भारत

³ सहायक प्रोफेसर, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर /बिहार, भारत

Email – ¹saurav.sandesh1981@gmail.com, ²archanasandilya08@gmail.com, ³p.mrinalinee@gmail.com

सारांश: सामाजिक उत्तरदायित्व समस्त मानव जाति के कल्याण पर आधारित है। “लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु” एवं “सर्वभूत हिते रताः” भारतीय वेद-पुराण, उपनिषद आदि का परम ध्येय है। परिवार, समाज, राज्य और समस्त मानव कल्याण ही हमारे देश में सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल मंत्र है जिसका आधार “वसुधैव कुटुंबकम्” है। मानव कल्याण का भाव ही आधुनिक निगमित सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के ट्रिपल बॉटम लाइन- पीपुल, प्रॉफिट और प्लानेट को प्रतिध्वनित करता है। श्रीमद् भगवद्गीता के कई श्लोक कर्म, धर्म, और सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्ता को दर्शाते हैं जो आधुनिक सी0एस0आर0 का सार है। भारत में सी0एस0आर0 को कानूनी मान्यता प्राप्त है और उल्लंघन की स्थिति में दंड का भी प्रावधान है। यद्यपि बिहार राज्य विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन के पथ पर अग्रसर है, और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में व्यावसायिक संगठनों, कंपनियों की अभिरुचि बढ़ी है, तथापि अभी भी इस राज्य को सी0एस0आर0 निधि में उचित भागीदारी नहीं मिली है, एवं निधि आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है। इस क्रम में बिहार सी0एस0आर0 पोर्टल का शुभारंभ एवं “बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025” लागू करना एक सार्थक कदम है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत लेख सी0एस0आर0 की अवधारणा को स्पष्ट करने के साथ-साथ इसके कानूनी प्रावधानों, बिहार में इसके कार्यान्वयन की स्थिति, व्यावसायिक संगठनों की भागीदारी आदि का विश्लेषण करता है। साथ ही, निधि आवंटन में राज्य को उचित हिस्सेदारी का भी सुझाव भी इसमें दिया गया है। इस लेख में गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है, तथा यह सैद्धांतिक है, प्रयोगात्मक नहीं।

कुंजी शब्द: निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक संगठन, समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025, सी0एस0आर0 निधि।

1. विषय प्रवेश

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल उद्देश्य है- समाज का बहुमुखी सतत विकास। संप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व के मुख्य चार प्रकार हैं- आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय। यह सामाजिक विकास का एक सशक्त उपकरण है, व्यावसायिक रणनीति का अंग है, सकारात्मक सामुदायिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति का कारक है, और व्यावसायिक संगठनों के लिए लाभकारी होने के साथ ही उनकी ब्रांड छवि निर्माण का माध्यम है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, हितधारकों के हितों की रक्षा, कानून का सम्मान और सामाजिक समावेशी विकास सी0एस0आर0 के मुख्य स्तम्भ हैं। इसकी मुख्य गतिविधियों में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि प्रमुख हैं। भारत पहला देश है जहां सी0एस0आर0 को विधिक मान्यता प्राप्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 और अनुवर्ती नियमावली, संशोधनों के अंतर्गत सी0एस0आर0 ऐच्छिक से अनिवार्य बना दिया गया है- “नियम का अनुपालन या जुर्माना।” इन गतिविधियों से व्यवसाय की सकारात्मक छवि तो बनती ही है, समाज के सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यद्यपि इस कानून के अनुपालन संबंधी कुछ समस्याएं यथा- सामुदायिक सहभागिता की कमी, पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, कंपनियों की उदासीनता, निधि आवंटन में क्षेत्रीय असंतुलन आदि विद्यमान हैं, तथापि दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक और ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहल मील के पथर सिद्ध हो रहे हैं। प्रस्तुत लेख विशेषकर बिहार राज्य में इसके कार्यान्वयन की स्थिति और बदलते आयामों पर प्रकाश डालता है। यही इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता है।

2. पूर्व शोध-समीक्षा

सी0एस0आर0 के संबंध में बहुत-से शोध कार्य उपलब्ध हैं जो इसके विविध आयामों की विस्तृत चर्चा करते हैं। जहां बोवेन (1953) ने समाज के प्रति व्यावसायिक संगठनों के उत्तरदायित्व का वर्णन किया है, उसके अनुवर्ती विचारकों यथा, डेविस और ब्लॉमस्ट्रॉम, 1966 ने सामाजिक व्यवस्था पर सी0एस0आर0 के सकारात्मक प्रभावों की विवेचना की है।¹ पुनः जहां फिट्ज, 1975 ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सामाजिक समस्याओं के समाधान का पर्याय माना गया है।² वहीं कैरोल ने सामाजिक दायित्वों की परिधि में विधिक, नैतिक और विवेकपूर्ण सामाजिक आकांक्षाओं को समाहित किया है। जहां एक ओर फिफका, 2009 ने कंपनियों के सामाजिक दायित्व को व्यवसाय उन्मुखी माना है, ली (2002), हुस्टेड और एलेन (2007); मॉरिसन और मुजतबा (2010); लो और आंग (2013) सहित कुछ अन्य विचारकों ने सी0एस0आर0 की अवधारणा एवं इसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। एकडोगू (2017) जैसे विचारकों ने व्यावसायिक संगठनों के सामाजिक दायित्वों एवं गतिविधियों को सतत विकास के साथ जोड़ा है, जबकि मित्रा और चटर्जी (2020) ने निगमों के योगदान पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त बशीर, एम0 (2022) ने भारतीय संदर्भ में सी0एस0आर0 नीतियों, कार्यान्वयन और महत्ता पर प्रकाश डाला है। लेकिन उपलब्ध शोध सामग्रियों के परिशीलन से पता चलता है कि बिहार राज्य के संदर्भ में बहुत कम शोध प्रबंध उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ, सी0एस0आर0 पत्रिका में प्रकाशित “टॉप सी0एस0आर0 इन्टरवेंशनस इन बिहार” (2022); “टॉप सी0एस0आर0 प्रोजेक्ट्स इन पटना” एवं “सी0एस0आर0 इन बिहार: नीड्स फेयर शेयर ऑफ फंड्स”³ के अलावे कोई अन्य लिखित सामग्री शोधकर्ता की नजर में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान लेख इस कमी को पूर्ण करने का एक सदप्रयास है। संभवतः राजभाषा हिन्दी में यह प्रथम प्रयास प्रतीत होता है।

3. शोध के उद्देश्य

इस लेख के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- क. निगमित सामाजिक दायित्व की अवधारणा, एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन करना,
- ख. भारत में तत्संबंधी कानूनी प्रावधानों का वर्णन करना,
- ग. बिहार राज्य में सी0एस0आर0 गतिविधियों में विभिन्न कंपनियों के योगदान का मूल्यांकन करना, तथा,
- घ. बदलते आयाम के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देना।

4. शोध-पद्धति

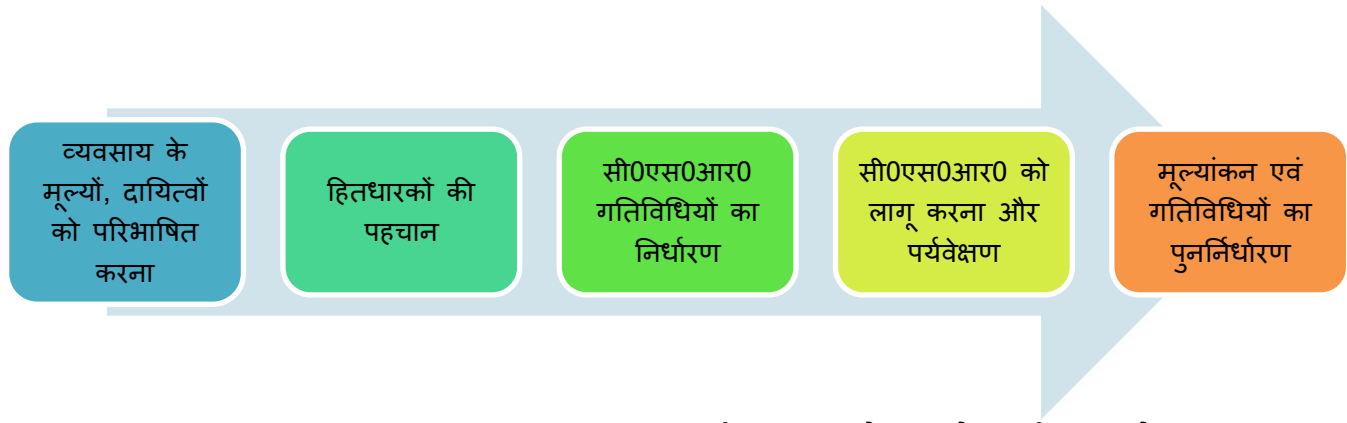
प्रस्तुत लेख वर्णनात्मक है, प्रायोगिक नहीं; गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं। इसमें विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और संरचनात्मक पद्धति अपनाई गई है। आंकड़ों का संकलन csr.guv.in एवं ऑनलाइन उपलब्ध सामग्रियों से किया गया है।

5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व: एक अवधारणा

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल उद्देश्य है- “बहुमुख विकासो गंतव्यः”- समाज का बहुमुखी और सतत विकास। सी0एस0आर0 व्यावसायिक संगठनों की एक स्व-नियंत्रित पद्धति है जो व्यावसायिक संचालन में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकत्र करने की सतत प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया परिलक्षित करती है तथा दूरगामी प्रभाव डालती है। सी0एस0आर0 के माध्यम से कोई व्यावसायिक उपक्रम समाज, परिवेश और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। विद्वानों द्वारा अपने-अपने ढंग से सी0एस0आर0 को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। हॉवर्ड बोवेन, जिन्हें सी0एस0आर0 का जनक माना जाता है, ने सी0एस0आर0 को व्यावसायिक संगठनों की नीतियों को आगे बढ़ाने, निर्णयों को लेने या कार्य पद्धतियों का अनुसरण करने के दायित्व के रूप में परिभाषित किया है।⁴ कैरोल ने सी0एस0आर0 का विश्लेषण चार उत्तरदायित्वों की कसौटी पर किया है— आर्थिक उत्तरदायित्व, कानूनी उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व, और परोपकार।⁵ यूरोपीय आयोग ने सी0एस0आर0 के न केवल व्यावसायिक संगठनों के कानूनी नियमों के पालन पर बल दिया है, बल्कि मानव, पर्यावरण और हितधारकों (stakeholders) के प्रति उत्तरदायित्व की ओर भी ध्यान केंद्रित किया है। आयोग के अनुसार “कंपनियों द्वारा सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों और हितधारकों के साथ संबंधों में स्वेच्छिक रूप से एकीकृत करना ही सी0एस0आर0 है।⁶ पुनः 2011 में यूरोपीय आयोग ने सी0एस0आर0 को “उद्यमों की समाज पर उनके प्रभावों के लिए जिम्मेवारी” के अर्थ में परिभाषित किया है। जॉन एनराईन ने सी0एस0आर0 को व्यावसायिक संगठनों की नीतियों को केंद्र बिन्दु (centre piece) मानते हुए पारंपरिक व्यवसाय के उद्देश्यों की तुलना में सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता माना है।⁷ बर्क और लॉग्सडाउन ने सी0एस0आर0 की पाँच प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया है— केन्द्रीयता (centrality), विशिष्टता (specificity), सक्रियता (proactivity), स्वेच्छिकता (voluntarism), और दृश्यता (visibility)।⁸

प्रभावी एवं नैतिक सी0एस0आर0 कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक संगठन सर्वप्रथम अपने व्यावसायिक मूल्यों और दायित्वों की पहचान करें; उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित करें; सी0एस0आर0 गतिविधियों को कार्यरूप दें, पर्यावरण संरक्षण करें, हितधारकों को नियमित रूप से भिन्न रखें एवं “फीडबैक” के अनुरूप अपने सी0एस0आर0 कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करें। इसे निम्नलिखित आकृति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है: -

आकृति.1. प्रभावी सी0एस0आर0



संक्षेप में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संबंध मुख्यतः आर्थिक, कानूनी, नैतिक और पर्यावरण से है। सी0एस0आर0 एक दिशा सूचक यंत्र की तरह होता है जो व्यावसायिक संगठनों के सामाजिक दायित्व की दशा और दिशा तय करता है।

6. भारत में सी0एस0आर0

भारत में सी0एस0आर0 का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ सी0एस0आर0 दान और परोपकार के पाथेय के साथ आज कानूनी बाध्यता तक पहुँच गई है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहाँ कानून द्वारा सी0एस0आर0 व्यय को 'ऐच्छिक' उत्तरदायित्व से अनिवार्य (mandatory) बना दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार वे व्यावसायिक संगठन/कंपनी जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो; या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक हो, उनपर सी0एस0आर0 प्रावधान लागू होंगे। अधिनियम, 2013 एवं अनुवर्ती नियमावली के अनुसार सी0एस0आर0 गतिविधियों एवं कार्यों से व्यवसाय की सकारात्मक छवि तो बनती ही है; हितधारकों के हितों की रक्षा होती है; तथा समाज के सतत् संवहनीयता (sustainability) में भी मदद मिलती है।

उपर्युक्त श्रेणी में शामिल कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सी0एस0आर0 गतिविधियों पर व्यय करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को सी0एस0आर0 के अंतर्गत मान्यता दी गई हैं: -

- I. भूख, गरीबी, कुपोषण का उन्मूलन
- II. शिक्षा का विकास
- III. महिला सशक्तिकरण
- IV. स्वास्थ्य सुविधाएँ
- V. पर्यावरण संरक्षण
- VI. राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण
- VII. सामाजिक कल्याण-ग्रामीण विकास
- VIII. कौशल विकास, आजीविका
- IX. प्रधान मंत्री राहत कोष में सहयोग
- X. खेल विकास (Public & Olympic sports)

कंपनी अधिनियम में सी0एस0आर0 संबंधी प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कंपनियों पर जुर्माना के भी प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम में “अनुपालन करें या जुर्माना दें” की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। सतत् विकास एवं लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने में सी0एस0आर0 की भूमिका उत्साहवर्धक रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के 26,579.78 करोड़ की तुलना में भारतीय कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में सी0एस0आर0 गतिविधियों पर 29,986.92 करोड़ राशि व्यय की गई है। सर्वाधिक राशि शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यय की गई है। भारतीय कंपनियां यथा- रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी

लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड आदि अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से विकास एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभा रही है।

7. बिहार में सीएसआर: एक विश्लेषण

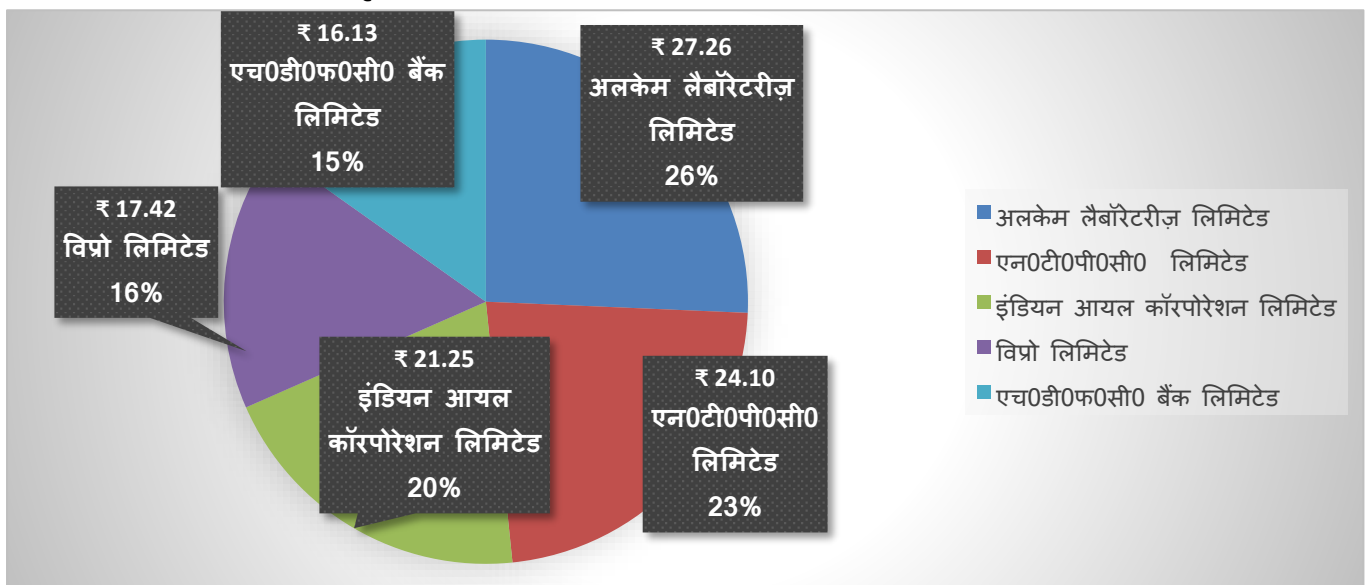
बिहार राज्य भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक स्थल रुद्ध (Land Locked) राज्य है जो एक समृद्ध विरासत और अपने गौरवशाली इतिहास, धर्म और कला के लिए जाना जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और भौगोलिक विशेषताओं लिए भी प्रसिद्ध है। यह राज्य विविध सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता, लोक संगीत, शिक्षा केन्द्र तथा बौद्ध एवं जैन धर्म के उद्गम स्थलों में से एक है। यह राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वाँ राज्य है।

बिहार के विकास में सीएसआर का महत्वपूर्ण योगदान है। यह राज्य में विकास परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सीएसआर गतिविधियों की महती भूमिका रही है। राज्य की सीएसआर गतिविधियों में केंद्र सरकार का योगदान मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से होता है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं में केंद्र-राज्य द्वारा व्यय-अनुपात निर्धारित होता है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से विकास कार्यों में मदद तो मिलती ही है, साथ ही, सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा मिलता है।

वर्ष 2025 के केन्द्रीय बजट- जिसका केंद्र बिन्दु गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी है— में बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर फुड टेक्नोलॉजी की स्थापना आदि प्रमुख हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बिहार में तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा- स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण पर क्रमशः 29.85 करोड़, 27.84 करोड़ एवं 16 करोड़ व्यय किए गए हैं। वर्ष 2023- 2024 में बिहार की सीएसआर गतिविधियों में कंपनियों का योगदान निम्नवत है- कुल सीएसआर व्यय- 260.53 करोड़, बिहार में योगदान करनेवाली कुल कंपनियों की संख्या- 325, बिहार में कुल जिलों की संख्या- 38, सेवा क्षेत्रों की संख्या- 9

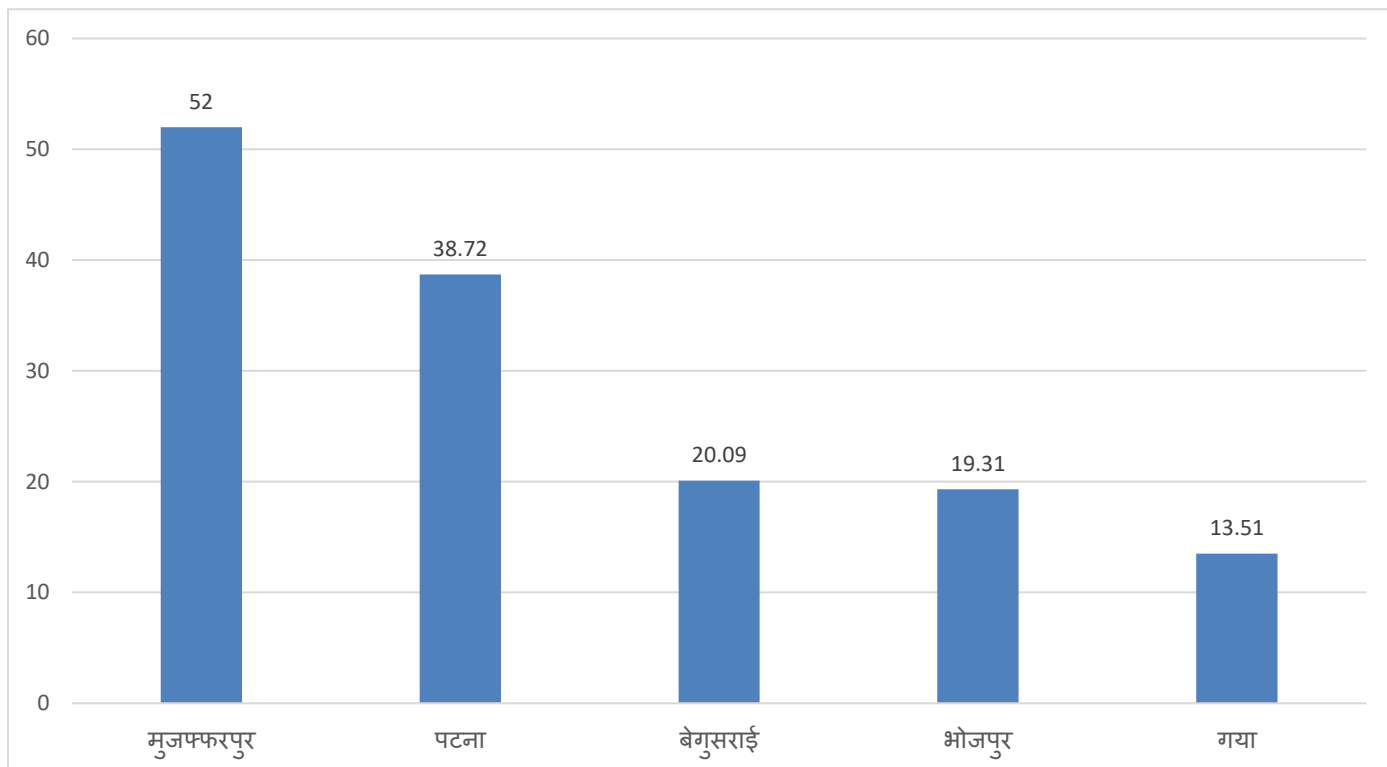
प्रमुख कंपनियों में एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, विप्रो लिमिटेड, एलकेम लैबॉरेटरीज़ लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक आदि प्रमुख हैं। इसके अलावे, बुडको, आरआईसी लिमिटेड एवं विभिन्न व्यावसायिक और निजी बैंकों द्वारा सीएसआर योजनाओं के माध्यम से राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सक्रिय सहभागिता दी जा रही है। जेएम फिनान्सीयल द्वारा जमुई जिले, जो नीति आयोग द्वारा चयनित 15 आकांक्षी जिलों में शामिल है, में ग्रामीण विकास के कार्य किए जा रहें हैं। बिहार में सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में व्यय करने वाली प्रमुख पाँच कंपनियों को निम्नलिखित आकृति द्वारा दर्शाया गया है: -

आकृति.2. सीएसआर व्यय: शीर्ष पाँच कम्पनियाँ (₹ करोड़)



स्त्रोत: सीएसआर बिहार (F.Y. 2023-2024)

इसी क्रम में बिहार के पाँच जिले, जहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किए गए हैं, को निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है: -



आकृति.3.सी0एस0आर0 व्यय: शीर्ष पाँच जिले (₹ करोड़)

परिवर्तित परिवेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला है रोजगार सृजन के अवसर मिले हैं और प्रमुख औद्योगिक घराने राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। राज्य सरकार भी इस ओर निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में औद्योगिक निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्न लिखित नीतियाँ लागू की गई हैं: -

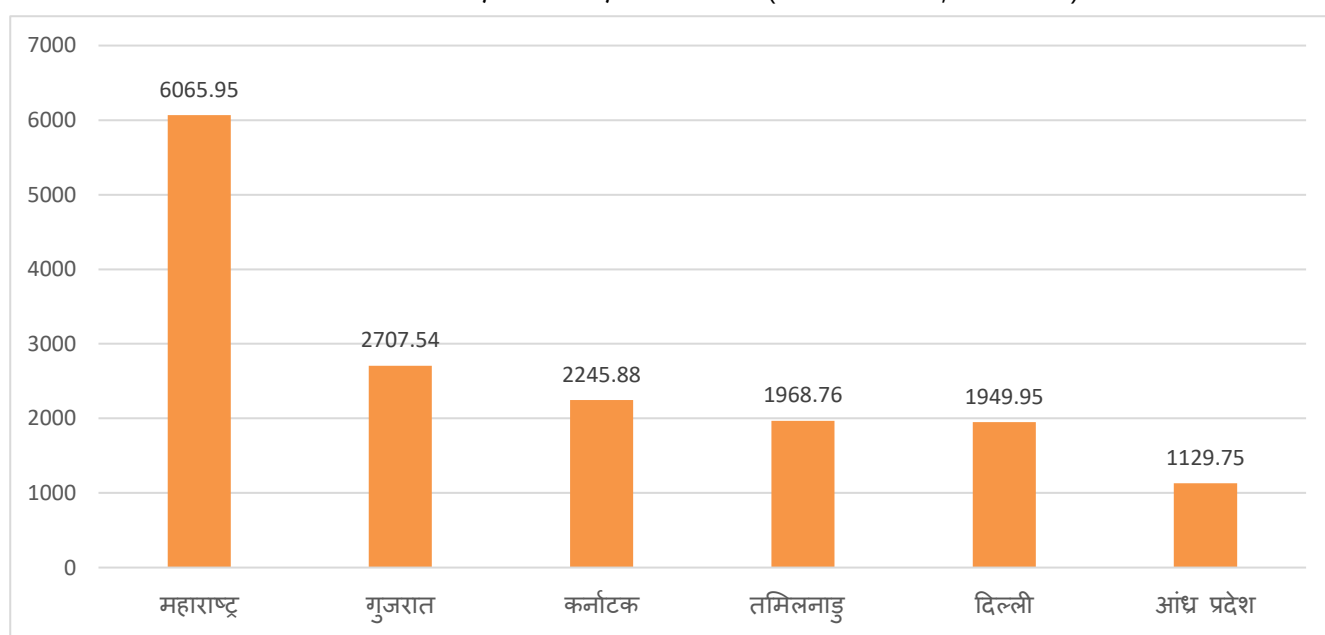
- I. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016
- II. बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024
- III. बिहार लोजिस्टिक्स नीति, 2023
- IV. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020
- V. टेक्स्टाइल एवं लेदर पॉलिसी, 2024
- VI. बिहार स्टार्टअप नीति, 2022
- VII. बिहार आईटी पॉलिसी, 2024
- VIII. बिहार पर्यटन नीति, 2023
- IX. बायोफ्यूल प्रोडक्शन नीति, 2023

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2023-2024 तक बिहार सरकार द्वारा क्रमशः 254, 467, 415, एवं 539 औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति दी गई है। राजनीतिक नेतृत्व एवं नौकरशाही की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप राज्य का औद्योगिक परिवेश बदल रहा है। बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल सरकार, कॉर्पोरेट जगत्, गैर सरकारी संगठन और समाज के मध्य एक पुल का काम करता है। पुनः सरकार द्वारा बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 भी लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 करोड़ राशि का निवेश संकलित करना है। अगस्त, 2025 में आरंभ किया गया यह पोर्टल शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे पर निधि का उपयोग सुनिश्चित करना है। बिहार देश का पहला राज्य है जो सी0एस0आर0 निधि की रियल टाइम निगरानी करता है। राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय अनुकूल नीतियों का निर्माण कर भूमि आवंटन में "सिंगल विंडो" व्यवस्था लागू कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।⁹ यह निर्विवाद है कि राज्य में जितनी कंपनियाँ स्थापित होंगी, सी0एस0आर0 निधि में राज्य की हिस्सेदारी उतनी ही प्रबल होगी और विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

8. मूल्यांकन एवं सुझाव

सी0एस0आर0 नीतियाँ एवं अधिनियम व्यावसायिक उपक्रमों को अधिक टिकाऊ, नैतिक और जिम्मेवार तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। निःसंदेह राज्य में उत्तरोत्तर सी0एस0आर0 निधि के आवंटन में वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी विकसित राज्यों यथा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु आदि राज्यों की तुलना में बिहार को इस निधि का बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। 31 मार्च की तिथि के अनुसार देश के 6 राज्यों, यथा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्रप्रदेश में वर्ष 2023-2024 में इस मद में प्राप्त कुल राशि का 60 प्रतिशत व्यय की गई है। 31 मार्च, 2025 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 6065.95 करोड़, गुजरात में 2707.54 करोड़, कर्नाटक में 2245.88 करोड़, तमिलनाडु में 1968.76 करोड़, दिल्ली में 1949.95 करोड़ और आंध्रप्रदेश में 1129.75 करोड़ राशि व्यय की गई है।

आकृति.4. सी0एस0आर0 व्यय: शीर्ष छह राज्य (₹ करोड़)
 स्रोत: नेशनल सी0एस0आर0 एक्सचेंज पोर्टल (आँक्रे 31 मार्च, 2025 तक)



यदि बिहार की बात की जाए तो वर्ष 2023-2024 में राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 219 दिनांक 22-7-2025 के जबाब में प्रस्तुत की गई उत्तर सामग्री के अनुसार राज्य में सी0एस0आर0 मद में कुल व्यय राशि 260.53 करोड़ है जो विकसित राज्यों की तुलना में नगण्य है। राज्य स्तर पर उपलब्ध राशि तो काम है ही, जिला स्तर पर निधि आवंटन में भी असमानता है। जहाँ पटना, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है, लखीसराय (0.06), बांका (0.15), सहरसा (0.32) आदि जिलों को नाममात्र राशि उपलब्ध कराई गई है।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अभी भी सी0एस0आर0 निधि के वितरण में राज्य एवं जिला स्तर पर असमानता व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए व्यावसायिक संगठनों, एवं केंद्र-राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव लाभप्रद हो सकता है: -

- क.** सी0एस0आर0 निधि के वितरण में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना चाहिए तथा बिहार सहित उत्तर-पूर्वी प्रदेशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ख.** व्यावसायिक संगठनों को सामाजिक उत्तरदायित्व को कानूनी बाध्यता नहीं, अपितु समाज सेवा एवं प्रभावोत्पादक जिम्मेदारी समझना चाहिए। कंपनी अधिनियमों एवं नियमावली को अधिक बाध्यकारी तथा पारदर्शी बनाना सी0एस0आर0 के कार्यान्वयन में प्रभावी हो सकता है।
- ग.** राज्य स्तर पर भी इस निधि के वितरण की सम्यक समीक्षा की जानी चाहिए और अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

- घ. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए0आई0) के वर्तमान परिदृश्य में व्यावसायिक संगठनों के नेतृत्व को ए0आई0 मॉडल का उपयोग कर सामुदायिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का आंकलन कर तदनुरूप नैतिक सी0एस0आर0 नीति का निर्माण करना चाहिए।
- ङ. सी0एस0आर0 योगदान मात्र कानूनी देयता नहीं है, वरन सामाजिक कल्याण के लिए सहभागिता भी है, व्यावसायिक संगठनों को इस तथ्य को स्वीकार करना होगा।
- च. सी0एस0आर0 के कार्यान्वयन में व्याप्त उत्तरदायित्व का अभाव, प्रबंधन की उदासीनता, तथा पारदर्शिता की समस्या की रोकथाम के लिए व्यावसायिक संगठनों द्वारा नैतिक आचार संहिता का निर्माण, पर्यवेक्षण और अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- छ. सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे परियोजनाओं की निगरानी की जा सके और पारदर्शिता बनी रहे।

9. निष्कर्ष

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से व्यावसायिक संगठन आर्थिक लाभ तो उठाते ही हैं, साथ ही, एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं। हितधारकों, कार्यरत मानव बाल, उपभोक्ताओं और समाज के प्रति नैतिक तरीके से जबाबदेही पूर्वक काम करना सी0एस0आर0 का मूल सार है। विविधता, समानता और समावेशन के साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का निर्वाह करना इसके उद्देश्य हैं। निःसंदेह, इन नीतियों के माध्यम से कंपनियां समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, निश्चित रूप से सी0एस0आर0 फन्डिंग में वृद्धि हो रही है; आर्थिक निवेश के लिए कंपनियां आगे आ रही हैं; और सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के पर्यवेक्षण, और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य कोरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी का गठन किया गया है। लेकिन अभी भी अन्य विकसित राज्यों की तुलना में इस राज्य की भागीदारी नगण्य है। निधि आवंटन में न्यायसंगत और पारदर्शी नीति निर्धारण की आवश्यकता है ताकि जनसंख्या के अनुपात में इस राज्य को उचित हक मिल सके। यद्यपि राज्य सरकार निरंतर प्रयास रत है, तथापि अभी भी परिवर्तन और सुधार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमणियम के शब्दों में, "बिहार का समग्र विकास राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"¹⁰ राज्य में विकास मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों, अवसंरचना विकास, पर्यटन और कौशल विकास पर आधारित है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्र-राज्य सरकार की सहभागिता और प्रतिबद्धता से निश्चित रूप से राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा- "संसर्गध्वं सं गच्छध्वं सं वो मनांसि जानताम्।"

संदर्भ

1. डेविस, के०, और ब्लॉमस्ट्रॉम, आर०एल० (1966), "बिजनेस एण्ड इट्स एनवायरनमेंट" न्यू यॉर्क: मैकग्रा हिल।
2. फिट्ज, एच० जी० (1976), "एचिभिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी", अकैडमी ऑफ मैनेजमेन्ट रिव्यू 01, पृष्ठ संख्या- 38-46।
3. संदेश, सौरभ (2024), "सी0एस0आर0 इन बिहार: नीड्स फेयर शेयर ऑफ फंड्स "आईजेसीआरटी, वॉल्यूम-12, इशू-1, जनवरी, पृष्ठ- e459-465. doi: <http://doi.org/10.1729/Journal.37619>
4. बोवेन, हार्वर्ड (1953), "सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमेन", प्रथम संस्करण, यूएस: हार्पर ब्रदर्स।
5. कैरॉल, ए०बी० (1979), "ए थ्री डायमेंसनल मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट परफॉरमेंस", अकैडमी ऑफ मैनेजमेन्ट रिव्यू वॉल्यूम-4, पृष्ठ- 497-505, doi: <https://doi.org/10.2307/2578501>
6. यूरोपियन कमीशन कॉम (2002), "प्रोमोटिंग ए यूरोपियन फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी", 347, फाइनल पृष्ठ- 51।
7. एनराइन, जॉन, (1994), "शैटर्ड इमेज, बिजनेस एथिक्स", भाग-8, नंबर-5, सितम्बर-अक्टूबर, पृष्ठ संख्या- 23-28।
8. बर्क, एल० और लॉग्सडॉन, जे०एम० (1966), "हाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेज ऑफ लॉग रेंज प्लैनिंग" वॉल्यूम, 29(4), पृष्ठ संख्या- 492-502।
9. नेमजी, सीजान (2024), "इन्डस्ट्रीअल रीसरचेंस", द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना, दिसम्बर, 15, पृष्ठ-5।
10. सुब्रमण्यम, वी.भी (2025), "बिहार'स ग्रोथ: की टू इंडिया'ज फ्यूचर", द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना, जून 11, पृष्ठ 2।